12.58 hrs.

FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर झा, इंट्रोडक्शन स्टेज पर आप हर एक बिल का विरोध करते हैं...

श्री शिव चन्द्र झा : हर एक पर हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह नया प्रोसीजर आप चलाने लगे हैं।

श्री शिव चन्द्र झा : आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। इस फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन (अमेंडमेंट) विधेयक के मुताल्लिक मेरी आपत्ति यह है कि जिस मकसद से यह विधेयक मन्त्री महोदय लाए हैं उनका वह मकसद शायद इससे पूरा न हो। यह विधेयक लाया जा रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट का डिक्लेरेशन सही रूप में नहीं देता है तो एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स जो हैं उन पर कार्यवाही नहीं होगी, सिर्फ जिसने फाल्स डिक्लेरेशन दिया है उसके फाल्स डिक्लेरेशन देने के ऊपर कार्यवाही होगी. अब यह कस्टम अधिकारी को पावर दे रहे हैं कि फाल्स डिक्लेरेशन वाले गुड्स के मुताल्लिक भी कार्यवाही वह कर सके। लेकिन एक बात जो कि हम देख रहे हैं मान लीजिए उसने यह कान्फिस्केट कर लिया या उसको रोक लिया एक्सपोर्ट करने से जिसका बयान सही रूप में नहीं किया गया है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यह धांधली गुड्स की स्मगिलग की बहुत सी चीजों में सामने आती है और फारेन एक्सचेंज हिंदुस्तान को नहीं मिलता है।

13.00 hrs.

इसलिए इस विधेयक में उन लोगों के लिए, जिनको कि एक्सपोर्ट अथारिटिज या कस्टम अथारिटिज यह समझती हैं कि ये लोग बार-बार ऐसा कर रहे हैं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको एक्सपोर्ट करने से बिलकुल डिबार कर दिया जाय। चूंकि इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस विधेयक के यहां लाने का जा मकसद है, वह पूरा नहीं होता है। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो अमेंडमेंट में आ सकती है, लीव के मौके पर इसको क्यों लाते हैं।

These are just formal motions. Any suggestions you want to bring forward to the Bill can be brought in the form of amendments rather than taking the time of the House at this stage. Now, the question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Foreign Exchange Regulation Act, 1947."

The motion was adopted

SHRI P. C. SETHI : I introduce the Bill.

STATEMENT *Re*. FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1969

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : I beg to lay on the Table a copy of the explanatory statement giving reasons for immediate legislation by the Foreign Regulation (Amendment) Ordinance, 1969, as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

* Published in Gazette of India Extraordnary, Part II, section 2, dated 8.12.69.